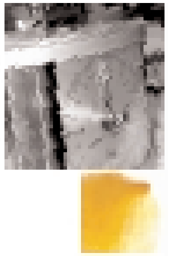

हमें नए खाद्य सुरक्षा मापदंड क्यों चाहिएं ?

१९९५ में राज्य व क्षेत्रीय स्वास्थय मंत्रियों ने आस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड फूड अथोरिटी को आस्ट्रेलिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समान खाद्य सुरक्षा मापदंड बनाने को कहा।

उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि :

- विद्यमान राज्य व क्षेत्रीय खाद्य स्वास्थय नियम हर स्थान पर अलग थे।
- कभी कभार कानून बहुत पुराने थे।
- इसनें अलग अलग राज्यों व क्षेत्रों में चल रहे खाद्य व्यवसायों के लिए समस्याऐं पैदा की ।
- इससे उपभोक्ताओं व व्यवसायों के लिए अनावश्यक ख़र्चे बढ़े

मंत्री भी आस्ट्रेलिया में खाद्य जनित रोगों के स्तर से चिंतित थे क्योंकि खाद्य से जहर फैलाने वाली अनेक गंभीर घटनाऐं हुईं जिनके कुछ भयंकर परिणाम हुए।

नए मापदंड इस तरह बनाए गए हैं कि व्यवसायों को खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने व आस्ट्रेलिया में खाद्य जनित रोगों के स्तर कम करने में मदद मिले। वे आधुनिक खाद्य सुरक्षा रीतियों पर आधारित हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मापदंडों को ध्यान में रखते हैं।

सर्वोपरि मापदंड इसलिए बनाए गए हैं ताकि यह निश्चित रहे कि जो खाद्य पदार्थ हम आस्ट्रेलिया में खरीदते हैं वह खाने के लिए सुरक्षित है।

प्रमुख संपर्क

आपकी स्थानीय परिषद् या लोक स्वास्थय खंड :

Queensland:
Queensland Health Public Health Units or Environmental Health,
Tel (07) 3234 0938

NSW:
Food Unit, Department of Health,
Tel 02 9816 0268

Victoria:
Your local Environmental Health Officer,
Food Safety Victoria hotline 1300 364 352

Tasmania:
State Food Officer, Department of Health and Human Services,
Tel 1800 671 738

South Australia:
Food Branch, Department of Human Services,
Tel 08 8226 7100,
ehb@dhs.sa.gov.au

Western Australia:
Food Safety Section,
Department of Health, Tel 08 9388 4999

Northern Territory:
Territory Health Services,
Tel 08 8999 2939

ACT:
Food Safety Standards Project Officer,
Health Protection Service, Tel 02 6205 1700

Australia New Zealand Food Authority
P O Box 7186, Canberra MC ACT 2610
Tel: 02 6271 2222 Fax: 02 6271 2278

Visit the ANZFA Website: www.anzfa.gov.au
E-mail ANZFA directly: advice@anzfa.gov.au
Call the ANZFA advice line. 1300 652 166

आस्ट्रेलिया में खाद्य व्यवसायों के लिए नए खाद्य सुरक्षा मापदंड

New Food Safety Standards for Food Business in Australia

Hindi

Commonwealth Department of Health and Aged Care

ANZFA
Australia New Zealand Food Authority
TE MANA WHAKARITE KAI MŌ Ā ITEREIRIA ME AOTEAROA

यह अनुवाद *कॉमनवैल्थ के डिपार्टमेंट ऑफ़ हैल्थ एण्ड एजड केयर* के सौजन्य से किया गया है।

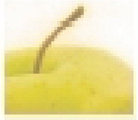

यह परिपत्र आस्ट्रेलिया में प्रत्येक खाद्य व्यवसाय पर लागू होने वाले तीन नए आदेशात्मक मापदंडों का परिचय कराता है, इसका अपवाद है केवल मौलिक उत्पादन से संबधित व्यवसाय।

खाद्य व्यवसायों व खाद्यकर्मियों को नई मांगों की जानकारी होनी चाहिए जो उन्हें प्रभावित करेंगी।

मापदंडों के अर्न्तगत हैं:

- सामान्य खाद्य सुरक्षा रीतियां
- खाद्य पदार्थ के साथ काम करने की जरूरतें
- स्वास्थ्य व स्वच्छता के विषय
- खाद्य प्रांगण और उपकरण

इस परिपत्र में मापदंडों की कुछ नई मांगें व जिन तिथियों से हर राज्य व क्षेत्र में वे लागू की जाऐंगी,की सूची है। यह इस बात की भी व्याख्या करता है कि अधिक जानकारी के लिए व्यवसाय कहां जाए और इसमें नए खाद्य सुरक्षा मापदंडो की कुछ सामान्य जानकारी भी शामिल है।

आदेशात्मक खाद्य सुरक्षा मापदंडो के आरम्भ होने की समय सूची

नए मापदंड निम्न तिथियों से लागू होते हैं:

२४ फरवरी २००१ : सभी मांगें सिवाए

१. सूचना देने की मांग, २४ फरवरी २००२; और

२. खाद्यकर्मियों का कौशल व ज्ञान, २४ फरवरी २००२.

किन्तु नए मापदंड पूरी तरह से लागू नहीं होंगे जब तक राज्य व क्षेत्रों के खाद्य कानून मापदंडों को लागू करने के लिए संशोधित नहीं होते।

नए मापदंड मेरे राज्य / क्षेत्र में कब लागू होंगे ?

जिन तिथियों से मापदंड लागू होते हैं वे हर राज्य व क्षेत्र में अलग हैं। छापने के समय (अगस्त २००१) एन एस डब्लयू और क्वीनसलैंड में ये कानून हैं। दूसरे क्षेत्रों के लिए अपनी स्थानीय परिषद् या स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। संपर्क का ब्यौरा इस परिपत्र के अंत में है।

यदि कुछ पहले से अलग है तो मुझे क्या करना होगा ?

नए मापदंड पुराने खाद्य कानूनों पर आधारित हैं यद्यपि कुछ मांगें नई हैं जो व्यवसाय अभी सुरक्षित रूप से और पुराने खाद्य नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं उन्हें नई मांगों की पूर्ति करना एक आसान काम लगेगा।

और जबतक वे जो काम करते हैं वह सुरक्षित है और वे यह साबित कर सकते हैं, कुछ खाद्य व्यवसायों को नए मापदंड पुराने नियमों की अपेक्षा अच्छे लगेंगे क्योंकि उनके कार्य व्यवहार में काफी लचक आ जाएगी।

खाद्य व्यवसायों के लिए नई मांगें

खाद्य व्यवसायों को अपनी स्थानीय क्रियान्वन एजेंसी को संपर्क का ब्यौरा व अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी देनी होगी सिवाए इसके यदि उन्होंने यह जानकारी विद्यमान पंजीकरण की मांग के अर्न्तगत दी हुई है।

खाद्य व्यवसायों की जिम्मेवारी है कि वे निश्चित करें कि जो खाद्य पदार्थ वे खरीदते हैं वह सुरक्षित व उनके प्रयोग के लिए योग्य है।

खाद्य निर्माता, थोक विक्रेता या आयातक जिनके पास पूर्वलिखित खाद्य पदार्थ वापिस बुलाने की व्यवस्था नहीं है , उन्हे अपने व्यवसाय के लिए एक तैयार करनी होगी।

खाद्य व्यवसायों से आशा की जाती है कि वे खाद्य पदार्थों को उन तरीकों से संसाधित करेंगे जिनसे खतरनाक बैक्टीरिया सुरक्षित स्तर पर रहें।

जो खाद्य व्यवसाय संभावित संकटजनक खाद्य पदार्थों के साथ काम करते हैं उनके पास एक खाद्य थर्मामीटर अवश्य होना चाहीए।

खाद्यकर्मियों के लिए मांगें

खाद्यकर्मियों को यह निश्चत करना चाहिए कि वे खाद्य पदार्थ किसी तरीके से भी दूषित न करें और उनकी अपने स्वास्थ्य व निजी स्वच्छता से संबधित कुछ विशेष जिम्मेदारियां होंगी।

खाद्यकर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें काम से संबधित कौशल व ज्ञान हो - औपचारिक प्रशिक्षण अवश्यक नहीं और आन्तरिक प्रशिक्षण स्वीकृत है।

क्या कुछ मांगें नई हैं ?

कुछ राज्यों व क्षेत्रों में खाद्य व्यवसायों के लिए मापदंडों के कुछ अन्य विधान नए हो सकते है । यह निर्भर करेगा कि राज्य व क्षेत्र के स्वास्थ्य के पुराने नियमों मे पहले क्या शामिल है। राज्य व क्षेत्रीय स्वास्थ्य विभाग व्यवसायों को इन स्थानीय परिवर्तनों की जानकारी दे सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम

कुछ राज्यों व क्षेत्रों में व्यवसाय की कुछ श्रेणियों के लिए खाद्य सुरक्षा व्यवस्था शुरू करने की योजना है।

यदि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम आपके राज्य व क्षेत्र में लागू होते हैं तो आप के राज्य व क्षेत्रीय स्वास्थ्य विभाग या स्थानीय परिषद् आपको व आपके व्यवसाय को यह कैसे प्रभावित करता है, इस विषय में बताएगी।

सलाह के लिए मैं कहां जाऊं ?

राज्य व क्षेत्रीय स्वास्थ्य विभाग,स्थानीय परिषदों व लोक स्वास्थ्य खंडों के साथ काम करेंगे और यह निश्चित करेंगे कि व्यवसायों को नए मापदंडों की शुरूआत के बारे में पता हो।

जैसे ही मापदंड उनके क्षेत्र में शुरू किए जाते हैं, व्यवसाय सलाह के लिए अपनी स्थानीय परिषद् व लोक स्वास्थ्य खंड से पूछ सकते हैं।

नए मापदंडों की अधिक जानकारी के लिए

अपने राज्य व क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग से संपर्क ब्यौरों के लिए इस परिपत्र के पीछे देखें।